न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–2756/2025

निर्भय कुमार राय उर्फ निर्भय कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

महनार थाना कांड संख्या–308/2025

अधीन धारा–316(5), 318(4) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not official

10-04-2026 महनार थाना कांड सं0–308/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–316(5), 318(4) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **निर्भय कुमार राय उर्फ निर्भय कुमार उम्र–52 वर्ष पेसर–स्व0 रामश्लोक राय** साकिन–थानपुर, थाना–महनार, जिला–वैशाली **एवं संजय कुमार उम्र–43 वर्ष पेसर–महेन्द्र राम** साकिन–परमानन्दपुर, थाना–महनार, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री अशोक कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अग्रिम जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, सूचक कुणाल शंकर मंगलम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, महनार प्रखण्ड में दिनांक–21.01.2025 से अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत है। वैशाली जिला अंतर्गत महनार प्रखण्ड के महमदपुर पंचायत पैक्स में खरीफ विपणन मौसम वर्ष–2025 में 41 किसानों से 2533.50 क्विटंल धान अधिप्राप्ति किया गया था। जिसका समतुल्य सी0एम0आर0 1740 क्विटंल होता है, जिसकी आपूर्ति बिहार राज्य खाद्य निगम को करना था। महमदपुर पैक्स द्वारा अभी तक मात्र 870 क्विटंल सी0एम0आर0 की आपूर्ति की गयी है तथा विगत लगभग 01 माह से कोई भी सी0एम0आर0 की आपूर्ति नहीं की गयी है। अद्योहस्ताक्षरी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से सी0एम0आर0 आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया परन्तु विगत 01 माह से कोई सी0एम0आर0 की आपूर्ति नहीं की गयी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महनार श्री मुकेश कुमार तथा एफ0सी0आई0 टीम के श्री उत्तम पासवान द्वारा दिनांक–24.06.2025 को भौतिक सत्यापन के क्रम में 1266.75 क्विटंल धान की मात्रा नहीं पायी गयी। सी0एम0आर0 नहीं आपूर्ति करने की स्थिति में जिला सहकारिता पदाधिकारी के ज्ञापांक–2492 दिनांक–06.08.2025 द्वारा सूचक को अधिप्राप्ति की गयी। धान में कमी की मात्रा 1266.75 क्विटंल धान के गबन करने के आरोप में महमदपुर पैक्स के अध्यक्ष श्री निर्भय कुमार

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–2756 / 2025
निर्भय कुमार राय उर्फ निर्भय कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

10.04.2026 राय एवं प्रबंधक संजय कुमार पर 1266.75 x 2300=2913525 रूपये का गबन का प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त अधिप्राप्ति किये गये धान को पैक्स गोदाम में रखा जाता है जिसके रख–रखाव की समस्त जिम्मेवारी समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंधक की होती है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस मामला में झुठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा 1266.75 क्विंटल धान मिल को उपलब्ध कराया था, जिसका कि गबन का उस पर आरोप है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–316(5), 318(4) का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है, जिस पर सी0एम0आर0 1266.75 क्विटंल धान, जो 1266.75 x 2300=2913525 रूपये का था, का गबन करने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 03 एवं 04 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 05 में जिला सहकारिता पदाधिकारी वैशाली, हाजीपुर का आदेश अंकित है जिससे विदित होता है कि महमदपुर पंचायत पैक्स अध्यक्ष श्री निर्भय कुमार राय एवं प्रबंधक श्री संजय कुमार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के अनुरूप अवशेष 128.875 मीट्रिक टन धान का गबन कर लिया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की पर्यवेक्षण टिप्पणी, कांड दैनिकी की कंडिका 22 से विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्व उक्त कांड धारा–316(5), 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सत्य पाया गया है। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों से विदित होता है कि दिनांक–22.05.2025 को अग्रिम धान के रूप में 1266.75 क्विटंल धान वैशाली राईस मील प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया गया है। लेकिन प्राथमिकी अनुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महनार श्री मुकेश कुमार तथा एफ0सी0आई0 टीम के श्री उत्तम पासवान द्वारा दिनांक–24.06.2025 को भौतिक

Web copy not official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–2756/2025

निर्भय कुमार राय उर्फ निर्भय कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

10.04.2026

स्तयापन के क्रम में 1266.75 क्विटंल धान की मात्रा नहीं पायी गयी। जिससे यह स्पष्ट है कि सूचक द्वारा गबन के आरोप के पूर्व 1266.75 क्विटंल धान वैशाली राईस मील प्राईवेट लिमिटेड को प्राप्त करायी गई है। अर्थात कुल 2533.50 क्विंटल का आधा अर्थात 1266.75 क्विंटल आवेदकगण द्वारा यह कहकर दिगभ्रमित करने का प्रयास किया गया कि उसने 1266.75 क्विंटल धान जो कि कम पाया गया है को मिल में जमा किया गया है, परंतु आवेदकगण संपुर्ण धान 2533.50 का स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

कांड दैनिकी की कंडिका 42 से विदित होता है कि आवेदक निर्भय कुमार राय के विरूद्व सात कांड लंबित है और आवेदक संजय कुमार के विरूद्व एक कांड लंबित है। प्राथमिकी अनुसार अधिप्राप्ति किये गये धान को पैक्स गोदाम में रख–रखाव की समस्त जिम्मेवारी समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंधक का है और आवेदक निर्भय कुमार राय महमदपुर पैक्स अध्यक्ष है और प्रबंधक आवेदक संजय कुमार है। ऐसा प्रतित होता है कि आधा धान भ्रम पैदा करने की नियत से सुनियोजित तारीके से मिल में जमा किया गया है। आवेदक के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, मामले में आरोप की गंभीरता एवं आवेदकगण के सक्रिय भागीदारी को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

आदेश पर नियत की तिथि	10.04.2026
आदेश की तिथि	10.04.2026
अपलोड करने की तिथि	15.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web copy not official